2

# व् अदालत् अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा।

पी0 ए0 केश नं0–08 / 2016–17

मो0 शफीक

बनाम्

रैयान मौजा–चेगेंय

—: आदेश :—

18-2-17

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।

आवेदक मो0 शफीक, पे0–स्व0 मो0 मनीर, सा0–चेगेंय, अंचल–पथरगामा, जिला–गोड्डा ने मौजा–चेगेंय के दूसरा प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया है।

आवेदन की जाँच अंचल अधिकारी, पथरगामा के पत्रांक–519 / रा0, दिनांक–14 / 09 / 2016 से प्राप्त है। प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–चेगेंय में दो प्रधान नियुक्त होना है, जिसमें प्रथम प्रधान शेख नसीरूद्दिन की नियुक्ति हो चुकी है। गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में मौजा–चेगेंय, थाना नं0–24, जमाबंदी सं0–01, कुल रकबा–02–01–05 धुर जमीन शेख शालु प्रधान वल्द् शेख वजीर वो शेख वारीश प्रधान वो शेख महम्मद अमीरूद्दीन वो शेख आवाश अली पेशरान शेख मोथरी के नाम से दर्ज है। प्रथम प्रधान शेख शालु प्रधान से उनका परपोता शेख नसीरूद्दिन की नियुक्ति हो चुकी है। दुसरा प्रधान शेख वारीश का पोता मो0 शफीक प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन किया है। अंचल अधिकारी, पथरगामा के द्वारा आवेदक मो0 शफीक को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा 06 के तहत् संयुक्त प्रधान के रूप में मौजा–चेगेंय का प्रधान नियुक्त करने के लिए अनुशंसा किया गया है।

मौजा के सौलह आना रैयतों को आपत्ति हेतु नोटिश का तामिला कराया गया। कहीं से किसी प्रकार का कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः अंचल अधिकारी, पथरगामा से प्राप्त जाँच–प्रतिवेदन के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा 06 के तहत् दूसरा प्रधान शेख वारीश प्रधान के उत्तराधिकारी के आधार पर आवेदक मो0 शफीक, पे0–स्व0 मो0 मनीर, सा0–चेगेंय, अंचल–पथरगामा, जिला–गोड्डा को संयुक्त प्रधान के रूप में मौजा–चेगेंय, थाना नं0–24 का प्रधान नियुक्त किया जाता है। नव नियुक्त प्रधान को आदेश दिया जाता है कि वे एक साल का खजाना कोषागार में जमाकर चालान की प्रति के साथ कबुलियत दाखिल कर पट्टा प्राप्त करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

अनुमंडल पदाधिकारी,
गोड्डा।

अनुमंडल पदाधिकारी,
गोड्डा।